Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 5, April-2019, ISSN 2230-7540

भारत में प्राथमिक शिक्षा से सम्बंधित मुददों एवं शिक्षा के आधार का अध्धयन

Dr. Sanjay Kumar Pal*

Principal, Shiv Shambhu Hindi Vidhyalay, District-Thane, Maharashtra

सारांश - शिक्षा मानव केजीवन की आधार शिला है। मानव का विकास और उन्नति शिक्षा पर ही निर्भर है, शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। जन्म के समय बालक पशुत्व आचरण करता है उस समय वह अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कार्य करता है। शिक्षा उसकी इन प्रवृत्तियों को उचित मार्गदर्शन करके परिपक्वता प्रदान करती है। बालक एवं उसके व्यवहार को, उसके आचरण को, उसके क्रियाकलापों को उचित और समाजोपयोगी बनाती है। शिक्षा उसमें रचनात्मक शक्ति का विकास करती है। यदि शिक्षा का अर्थ अधिक समझें तो यही है कि शिक्षा ही वह गुरु तथा दीपक है जो कि मनुष्य को सही पथ दिखाती है तथा जिसकी दिशा तथा रोशनी को अपनाकर खुद को समाजपयोगी बनाकर समाज को विकास की ओर अग्रसर करता है तो यह गलत न होगा। भारत जैसा एक लोकतांत्रिक तथा बहुजनसंख्या वाले देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा बच्चों तक शिक्षा पहुचाने के लिए एक महत्त्वपुर्ण कदम के तौर पर समझा जा रहा है। इस अधिनियम को सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चों को, बाल मजदूरों प्रवासी बच्चों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या फिर ऐसे बच्चों को-जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा लिंग कारको की वजह से वंचित बच्चों में शामिल है।प्रस्तुत शोध में हम प्राथमिक शिक्षा में आने वाले मुद्दों एवं भारत में जो शिक्षा का आधार है उसका अध्धयन करेंगे।

----------X----------

प्रस्तावना

शिक्षा के द्वारा मानव केवल अपने वातावरण से अनुकूलन करने में ही समर्थ नहीं होता वरन् वातावरण और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का भी प्रयत्न करता है। जी.एच. थॉमस के अनुसार शिक्षा के कारण ही मानव आज सभ्यता के इस ऊँचे शिखर पर पहुँच पाया है। शिक्षा ही मानव का असत्य-से-सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है, और निर्देशित करती है। शिक्षा ही व्यक्तित्वता की केंचुली से बाहर लाकर मानव को इस योग्य बनाती है कि वह समाज, राष्ट्र और सम्पूर्ण संसार के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपना सके और अपने कर्तव्यों का निर्वाहन भली प्रकार से कर सके।शिक्षा के द्वारा हम मनुष्य की उन छिपी हुई तथा आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालकर उनका उपयोग समाज, देश राष्ट्र की भलाई में लगाते हैं। यानि शिक्षा वह मथनी है जिसका प्रयोग कर दूध से मलाई निकाली जाती है उसी प्रकार से हम शिक्षा के द्वारा मनुष्य की छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उनको उसकी क्षमता अनुसार प्रयास करते हैं। शिक्षा मनुष्य को मनुष्यता के आदर्शों तथा कर्मों का ज्ञान करा कर समाज उपयोगी बनाती है। अर्थात् शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनने के पथ पर अग्रसर करती है। इसके द्वारा मनुष्य की आंतरिक और बाह्य शक्तियों का विकास होता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ ही यह उम्मीद भी है की इससे विद्यालय छोड़ने तथा विद्यालय ना जाने वाले बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से दी जा सकेगी। इस अधिनियम में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है, जिससे ज्ञान, कौशल और मूल्यों से लैस करके उन्हें भारत का प्रबुद्ध नागरिक बनाया जा सके। यदि विचार किया जाए तो आज देशभर में विद्यालयों से वंचित लगभग एक करोड़ बच्चों को शिक्षा प्रदान करना सचमुच हमारे लिए एक दुष्कर कार्य है। इसलिए इस लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी हितधारकों माता-पिता, शिक्षकों, विद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों और कुल मिलाकर समाज,

www.ignited.in

राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार की और से एकजुट प्रयास का आह्वान किया गया है। इस अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया है की पहुँच के भीतर वाला कोई निकटवर्ती विद्यालय किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा तथा साथ ही यह भी प्रावधान शामिल है की प्रत्येक 30 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक के अनुपात को कायम रखते हुए पर्याप्त संख्या में सुयोग्य शिक्षक विद्यालयों में मौजूद होने चाहिए। विद्यालयों को पांच वर्षों के भीतर अपने सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा। उन्हें तीन वर्षों के भीतर समुचित सुविधाऐं भी मुहैया करवानी होंगी, जिसमें

1. खेल का मैदान,
2. पुस्तकालय पर्याप्त संख्या में अध्धयन कक्ष,
3. शौचालय,
4. शारीरिक रुप सेअसक्षम बच्चों के लिए निर्वाध पहुँच,
5. पेयजल सुविधाऐं आदि शामिल हैं।

विद्यालयों में प्रबंधन समितियों के 75 प्रतिशत सदस्य छात्रों की कार्यप्रणाली और अनुदानों के इस्तमाले की देख रेख करेगें विद्यालय समितियों अथवा स्थानीय अधिकारी विद्यालयों से वंचित बच्चों की पहचान करेंगे और उन्हें समुचित प्रशिक्षण के बाद उनकी उम्र के अनुसार समुचित कक्षाओं में प्रवेश दिलवाएंगे सम्मिलित विकास को बढावा देने के उद्देश्य से नीजी विद्यालयोंमें भी सबसे निचली कक्षा में समाज के गरीब और हाशिये पर रहने वाल वर्गों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करेंगे। इसे साकार करना एक बड़ी चुनौती है। देश में लगभग एक करोड बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव, अतिरिक्त विद्यालयों की आवश्यकता, और धन की कमी होना बड़ी चुनौतियाँ हैं।

जहां तक धन की कमी का प्रश्न है, इस अधिनियम में राज्यों के साथ हिस्सेदारी का प्रावधान है। जिसमें कुछ व्यय में केंद्र सरकार का हिस्सा 55 प्रतिशत है। एक अनुमान के अनुसार, इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आगामी 5 वर्षों में 1.71 लाख करोड़ रुपऐ की आवश्यकता होगी, इनमें से केंद्रीय बजट में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए पहले से राज्यों को दिऐ गऐ लगभग 10,000 करोड़ रुपए का व्यय नहीं हो पाया है इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए वित्त आयोग ने राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किये है इसके बावजूद बिहार, उत्तर प्रदेश ओर उड़ीसा जैसे राज्यों ने अतिरिक्त निधि की मांग की है इस परियोजना की सफलता के लिए सभी हितधारकों की ओर से एक इमानदार पहल की आवश्यकता है सामने कई चुनोतियाँ भी है निम्न आय समूह वाले माता-पिता, परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपनें बच्चो को काम करने के लिए भेजते हैं, इस शिक्षा के इतिहास में अब जो नई अबारत लिखी गयी है, उसे कई वर्षों पहले ही हो जाना चाहिए था। भारत सरकार के द्वारा सबको शिक्षा मिले, इसके लिए कई तरह की योजनायें पहले ही चल रही हैं। सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ओपरेशन ब्लैक-बोर्ड आदि योजनाओं से शायद ही कोई अपरिचित हो पर हमें इन योजनाओं पर भी सरसरी तौर पर एक नजर जरुर डाल लेनी चाहिए। पिछली योजनाओं का पोस्टमार्टम किये बिना और उनके अनुभव से सीखे बिना इस कानून को पटरी पर लाना आसान न होगा।

कहा जाता है की भारत की आत्मा गावों में निवास करती है। गाँव शब्द सुनते ही हमारी आँखों में एक ऐसी छवि उभरती है, जहां मूलभूत सुविधाओं का हमेशा अभाव रहता है, खासकर चिकित्सा और शिक्षा के छेत्र में भारत सरकार द्वारा इन मूलभूत सुविधाओं के लिए पिछले सालों में लाखों व करोडों रुपए खर्च किये गए हैं, पर समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। उचित शिक्षा के अभाव में न जाने कितनी ही जानें रोज जाती हैं। शिक्षा क्षेत्र में तो स्थिति और भयानक है। गावों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और अधिक गंभीर है। गावों में शिक्षा की स्थिति से हम लोग बखूबी परिचित हैं। हर 30 बच्चों पर 1 शिक्षक की सरकार की योजना शायद ही नजर आती है। कई जगह तो पूरा का पूरा विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है, जहां एक ही शिक्षक को पुरे विद्यालय की कमान सम्भालनी पड़ रही है, जिससे लगता है की ये सिर्फ बच्चों के जीवन से खिलवाड़ ही किया जा रहा है उनको शिक्षा देने के नाम पर। ऐसे में शिक्षा के स्तर में सुधार या जिस प्रकार की शिक्षा आज हम हमारे विद्यालयों में दे रहें हैं, क्या वाकई वह ग्रामीण इलाकों के बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनें वाले गुणवत्तापूर्ण निजी विद्यालयों के बच्चों में आने वाली हीन भावना का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? शिक्षा की असमानता भी आज मुख्य समस्या बनी हुई है। निजी विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में जमीन-आसमान का अंतर है। यही कारण है की आज भी अभिभावक सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा निजी विद्यालयों को ज्यादा तवज्जो देते नजर आ रहें हैं।

आज हमारे देश में लगभग 22 करोड़ बच्चे विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं। इतनी बड़ी संख्या तक उच्च गुणवत्तापुर्ण

www.ignited.in

शिक्षा पहुंचाना सरकार के लिए वाकई आसान नहीं है। कुछ केन्द्रीय विद्यालय इस कार्य में इमानदारीपूर्ण अवश्य लगे हुए हैं, पर इन विद्यालयों तक सिर्फ 10 लाख बच्चों की ही पहुँचे है। ऐसे में सरकार के सामनें सिर्फ एक ही विकल्प बचता है की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, पुर्ण रुप से प्रशिक्षित शिक्षकों की ही भरती की जाए और समय-समय पर प्रशिक्षकों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाता रहना चाहिए।

विद्यालयी शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के सिलसिले में जो कुछ प्रश्न उठाये जाते हैं वे हैं

- शिक्षकों की कमी/अनुपस्थिती
- बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता
- उचित पाठ्यक्रम का अभाव
- बच्चों के प्रति शिक्षकों का व्यवहार
- स्वच्छ जल का अभाव
- घर से विद्यालयों की अधिक दूरी
- शौचालयों का अभाव
- विद्यालयों की मरम्मतका अभाव
- मिडे मिल की खराब गुणवत्ता
- संख्या से अधिक कक्षाओं में निर्धारित मानदंडो से अधिक भार
- अध्यापन के पुराने तरीके।

परन्तु इन समस्याओं को अलग अलग समस्याओं में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इनकी जड़ें व्यवस्था में फैली हैं। इसलिए व्यवस्था में अमूल परिवर्तन लाना जरुरी है। इसके लिए हमें विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की मूल समस्याओं पर गौर करना होगा। पहली मूल समस्या है प्रवेश की कमी। आजादी के 64 साल बाद भी हमारे देश के करोड़ों बच्चे शिक्षा से दूर रह जाते हैं। पूरे देश में यह संख्या 30 प्रतिशत से कम ना होगी। आधुनिकतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कक्षा 10 तक आते आते 61 प्रतिशत बच्चे पढाई छोड़ देते हैं। प्रवेश की समस्या के समाधान केलिए सबसे पहला कार्य होना चाहिए- अतिरिक्त विद्यालयों का निर्माण, अतिरिक्त शिक्षकों की बहाली और अतिरिक्त शिक्षकप्रशिक्षण संस्थाानों का निर्माण। शिक्षा की दूसरी मूल समस्या है इसकी निम्न गुणवत्ता। इसे बढाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है- न्यूनतम मानकों का निर्धारण कर उन्हें सभी विद्यालयों में लागू करना। शिक्षा के अधिकार की अनुसूची में कुछ मानक निर्धारित किये गए हैं, परन्तु इनकी काफी कमी है।

II. प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दे

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं है। फिर चाहे कितनी ही शैक्षिक नीतियाँ क्यों ना बना ली गई हो। लकिन इस समस्या की गंभीरता को कम करके आंका जाता हैं उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत की सफलता से (जिसने विख्यात वैज्ञानिकों, वकीलों, चिकित्सकों और लखकों को पैदा किया है।) कुछ क्षेत्र में यह विचार बन गया है कि हमारी प्रगति की रफ्तार ठीक है। सफलता के इस मिथक के विपरीत स्थिति यह है कि लाखों करोड़ों भारतीय शिक्षा से वंचित हैं। उदाहरण स्वरूप 1991-2002 की जनगणना और नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1992-93 के समय बहुत ही गंभीर थी।

2.1 विशाल विषमताएँ

औसत के नीचे स्तर के होने के अतिरिक्त भारत में शैक्षिक उपलब्धियाँ बहुत ही असमान हैं यदि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देखें तो स्थिति बेहद ही कठोर सूचनाएँ उपलब्ध करवाती हैं। हाल ही में आई ह्यूमन डवलेपमेंट रिपोर्ट यह बताती है कि भारत में सामान्य वयस्क दो वर्ष से कुछ ही अधिक समय स्कूल में बिताता है जबकि चीन में 5 वर्ष, श्रीलंका में 7 वर्ष और दक्षिण कोरिया में 9 वर्ष से ज्यादा है। प्रायः पिछड़े समझे जाने वाले इन क्षेत्रों की तुलना में भारत पीछे नजर आता है। यह स्थिति और भी भयानक तब हो जाती है जब नारी साक्षरता के क्षेत्र में भारत उप-सहारा अफ्रीका से भी पीछे दिखाई देता है। यदि भारत के भीतर ही देखें तो शैक्षिक उपलब्धियों की असमानता का यह फलक बेहद ही असमान दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए केरल के क्षत्रों में लगभग सभी लोग साक्षर हैं लकिन राजस्थान की अनुसूचित जाती की महिलाएँ एकदम निरक्षर हैं (जनसंख्या 2001, 2011)। प्रायः साक्षरता की दरों में क्षेत्र वर्ग जाति और लिंग के आधारों पर गहरी असमानताएँ हैं। भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार साक्षरता की दरें जहाँ दक्षिण और पश्चिमी भारत में ऊँची हैं वहाँ उत्तर या पूर्वी क्षेत्रों में ये कम हैं एक क्षेत्र विशेष में साक्षरता की दरें उन लोगों में प्रायः कम हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए हैं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और मुसलमानों में भी साक्षरता की दर

www.ignited.in

अपेक्षाकृत कम पायी जाती है। प्रोब रिपोर्ट के अनुसार स्पष्ट जाहिर होता की बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों का प्रदर्शन इस मामले में बहुत खराब है उदाहरण के लिए यह तथ्य बहुत चैंकाने वाला है कि इन चार राज्यों के 72 जिलों में 10-14 आयु वर्ग के अधिकतर बच्चे निरक्षर हैं। इस संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश क्षेत्रों में महिला साक्षरता की दरें पुरुषों की तुलना में काफी कम हैं असल में भारत दुनिया के उन देशोंमें गिना जाता है जहाँ साक्षरता की दरों में पुरुष और औरतों के बीच अंतर अधिक है। स्त्री और पुरुषों की साक्षरता दरों में सबसे ज्यादा अंतर पूरी दुनिया में केवल राजस्थान में ही है।

2.2 धीमी प्रगति

कई बार यह सुनकर संतुष्टि होती है कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति में सुधार आ रहा है। समय के साथ-साथ स्थिति में निश्चय ही सुधार आ रहा है। (जैसा अन्य अधिकांश दशों में भी है) किन्तु सुधार की गति धीमी है उदाहरण के लिए साक्षरता की दरों में वृद्धि की रफ्तार इतनी धीमी है कि लोगों की कुल संख्या प्रति वर्ष बढ़ती ही चली जा रही है। पाँच वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों की संख्या 1981 में अगर 35 करोड़ थी तो 1991 में वह बढ़कर 37 करोड़ 10 लाख हो गई।

पिछले 30 वर्षों में अनके देश प्रारंभिक शिक्षा के मामले में भारत से कहीं आगे निकल गए हैं चीन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 1940 वाले दशक के अंतिम वर्षों में दोनों ही देशों के सामने व्यापक निरक्षरता और घोर गरीबी की एक जैसी समस्याएँ थी। आज प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में चीन भारत से बहुत आगे निकल गया है। उदाहरण के लिए 15-19 आयु वर्ग में निरक्षर व्यक्तियों का अनुपात चीन (5%) की तुलना में भारत में 6 गुना अधिक है। (34%)यदि वर्तमान रूझान इसी प्रकार हैं तो 14 वर्ष की उम्र तक के भी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त करने में भारत को 50 वर्ष और लग जायंगे।

2.3 राजकीय निष्क्रियता

प्रारंम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन का मुख्य कारण सरकारी निष्क्रियता है। यह रुख इस तरह प्रकट होता है- शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए धन की व्यवस्था स्कूली शिक्षा प्रणाली की अपर्याप्त देख-रेखे और पिछडे हुए क्षेत्रों तथा समुदायों की खुलेआम उपेक्षा। इस रिपोर्ट के आगे आने वाले अध्यायों में इस लापरवाही की ओर अनके उदाहरण सामने आयेंगे। हाल के वर्षों में स्कूली शिक्षा प्रणाली की कमियाँ दूर करने की दिशा में कई स्तर की कोशिशें की गई हैं- मुख्य रूप से ऐसी नई योजनाओं की शुरूआत के जरिए जैसे अनौपचारिक शिक्षा, बिहार शिक्षा परियोजना तथा संपूर्ण साक्षरता अभियान। लकिन यहाँ अधिकांश योजनाएँ पूरक तथा तदर्थ प्रकृति की रही हैं, और जहाँ तक स्कूली शिक्षा प्रणाली के मूलभूत ढांचे का सवाल है उसमें बडे सुधार के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा को मुख्य राजनीतिक समस्या या चिंता के रूप में स्वीकार किऐ जाने के भी कोई संकेत नहीं है।

2.4 बाल मजदूरी

यह एक मिथक है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल से बाहर हैं वह इसलिए नहीं पढ़ पाते की उन्हें काम करना पड़ता है। इस व्यापक विश्वास को विशेष क्षेत्रों और व्यवसायों में पूरा दिन काम करने वाले बाल मजदूरों के चैंकाने वाले मामलों से और भी बढ़ावा मिला है, जैसे मिर्जापुर में कालीन बुनाई या फिरोजाबाद में चूड़ी निर्माण। कुछ संगठन यह दावा करते हैं कि भारत में साढे छह करोड़ बाल मजदूर ऐसे हैं जिन्हें प्रतिदिन 8 घंट से अधिक देर काम करने पर विवश किया जाताहै। (बंधुआ मुक्ति मोर्चा) या यह भी कि भारत में 7-8 करोड़ऐसे बाल मजदूर हैंजो प्रतिदिन औसतन 12 घंटे तक काम करते हैं(कैंपेन अगेस्ट चाइल्ड लेबर)। इसआधार पर यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि "जब हमारे देश में 6 करोड़ बच्चे पूरे दिन बाल मजदूरों के रूप में काम करते हैं तो हम अपने देश को पूरी तरह साक्षर कैसे बना सकते हैं? (नेशनल हेराल्ड 2 जनवरी 1997)। स्थिति निसंदेह बहुत ही दर्दनाक है और ऊपर दिए गए वक्तव्यों में कुछ ऐसी आघात पहुँचाने वाली मान्यताऐं हैं जो इस समस्या की तरफ ध्यान खींचती हैं।

2.5 प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क है

एक अन्य मिथक है- संवैधानिक निर्देश के अनुसार भारत में प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क है। सरकारी स्कूलों में प्रवेश शुल्क बहुत कम लिया जाता है- अगर इस दृष्टि से कहें तो इसे निःशुल्क या लगभग निः शुल्क कह सकते हैं लकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि माता-पिताओं पर बच्चों को पढ़ाने का कोई खर्च नहीं आता। हाल में हुए सर्वेक्षणों से यह बात उभर कर सामने आई है कि बच्चों की शिक्षा पर आने वाला खर्च गरीब माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भजेने में बाधा बनता है और विशेषकर जब स्कूल पढ़ाई का स्तर भी काफी नीचा है।

www.ignited.in

2.6 स्कूल सुलभ हैं?

स्वाधीनता के बाद से स्कूली सुविधाएँ जुटाने के लिए धन के प्रावधान में लगातार काफी प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए प्राथमिक स्कूलों की संख्या तिगुनी हो गई हैं। 1993 में गाँव की 94 प्रतिशत जनता प्राथमिक स्कूल से 1 किलोमीर के दायरे में रह रही थी। स्पष्ट है कि स्कूल और घर के बीच की दूरी पहले की तुलना में कम हुई है कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि समस्या लगभग सुलझा ली गई है। उदाहरण के लिए शिक्षा विभाग की 1997-98 की वार्षिक रिपार्ट के अनुसार "स्कूली सुविधाओं तक पहुँचाना अब कोई बड़ी समस्या नहीं रह गई है।" यह एक अन्य मिथक है, जिसके अनेक कारण हैं।

पहली बात यह है कि जिस पर विचार होना चाहिए वह केवल भौतिक दूरी नहीं बल्कि सामाजिक दूरी भी है। हमें उन अनेक अवरोधों पर विचार करना चाहिए जो एक पढ़ने के इच्छुक बच्चे को स्थानीय स्कूल तक पहुँचने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए अनके क्षेत्रों में गाँव अलग-अलग समूहों में बंटे हुए हैं और एक समूह के बच्चे शायद दूसरे समूह के स्कूल में जाने से झिझकें या फिर वहाँ जा ही ना सकें। इसका कारण है जातीय तनाव। भारत के गाँवों के केवल आधे टोलों में एक प्राथमिक विद्यालय है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे टोलों का अनुपात बहुत ही कम जैसे 30 प्रतिशत है। जहाँ तक लड़कियों का सवाल है उनके आवगमन पर प्रतिबंधों के कारण यह सामाजिक दूरी की समस्या और भी बढ़ जाती है।दूसरे, स्कूली शिक्षा सुविधाओं की भौतिक उपलब्धियाँ पर्याप्त है या नहीं, इस पर विचार करते समय हमें इस निर्णायक तथ्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि संविधान ने 14 वर्ष की उम्र तक सब बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएँ सुलभ कराने का निर्दश दिया है। इस निर्देश को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि न सिर्फ प्राथमिक बल्कि "मिडिल" विद्यालयों तक भी, जिनमें कक्षा आठ तक पढ़ाई होती है, सुविधाजनक ढंग से पहुँच होनी चाहिए। जब मिडिल स्कूलों पर ध्यान जाता है तो स्कूली शिक्षा के आधारभूत ढाँचे की कमियाँ एकबड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामनेआती हैं। उदाहरण के लिए केवल 20 प्रतिशत (प्राब रिपोर्ट) गाँवों में मिडिल स्कूल हैं और ग्रामीण भारत में कुल मिलाकर 43 प्रतिशत जनता सबसे निकट केउच्च प्राथमिक विद्यालय से 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर रहती हैं इस मामले में भी लड़कियों के लिए यह समस्या कहीं अधिक गंभीर है। क्योंकि अनके माँ-बाप अपनी लड़कियों को दूसरे गाँवों के स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं होते ।

तीसरे, प्राथमिक स्कूलों में भौतिक दूरी की मूल समस्या अनेक परिवारों के साथ है चाहे उनकी संख्या कम ही हैं इस समस्या का सबसे प्रकट पहलू कुछ गाँवों में किसी भी स्कूल का न हानो हैं इसके अतिरिक्त ऊबड़-खाबड़ भूमि भी कई बार (खासकर छोटे बच्चों के लिए) बड़ी समस्या बन जाती है, फिर चाहे स्कूल गाँव में ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए हिमालय क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्रायः पहाड़ पर लंबी चढ़ाई चढ़कर या जंगल सेगुजरकर या नदी नालेपार करके गाँव के स्कूल में जाना पड़ता है। ये बाधाएँ साधारणनहीं है,खासतौर से सर्दियों के मौसम में कठिनाईयाँ और भी बढ़ जाती हैं। अगर स्कूल में पढ़ाई हर नागरिक का अहस्तांतरीय अधिकार है तो भौतिक दूरी की ये समस्याएँ हल होनी ही चाहिए।

III. शिक्षा का अधिकार का परिचय

शिक्षा का अधिकार 2009 सम्पूर्ण भारतीय शिक्षा पद्धति विशेषतः 6-14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता हैं यह अधिकार उन सभी बच्चों के लिए एक मील का पत्थर है जो अभी तक शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी समस्याएँ दृष्टिगोचर होती हैं जैसे बच्चों के स्कूल छोड़ने की ऊँची दरे, प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश की निम्न नामांकन दरे, लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा में कम भागीदारी, समाज के वंचित वर्गों की स्कूल में शामिल ना होने एवं स्कूल छोड़ने की ऊँची दरें तथा उच्च शिक्षक, विद्यार्थी अनुपात है। इससे यह अनुमान लगाना बहुत सरल है कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार चल रही है। इसी संदर्भ में सभी समस्याओं को मद्देनजर रखकर भारत में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानून महत्वपूर्ण हो सकता है। यह अधिकार 6-14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा में शामिल होने का अधिकार देता है। प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निरूशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार होगा। बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का मौलिक कत्व्र्य बना दिया गया है। अतः अब अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी की वे बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें हर बच्चे के लिए घर से विद्यालय तक की नियत दूरी 1 कि.मी. दूरी के दायरे में ही विद्यालयों की व्यवस्था करानी होगी। सभी निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश के समय कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी, तथा इसे मजबूती से लागू किया जाए। निजी विद्यालयों में बच्चों से किसी प्रकार की कोंपिटशन फीस नहीं ली जायेगी, व बच्चों के स्क्रीनिंग टेस्ट पर भी प्रतिबन्ध होगा। बच्चों को ना तो अगली कक्षा में पहुँचने से रोका जाएगा न ही विद्यालय से निकाला जाएगा और ना ही उनके लिए बार्डे परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य

www.ignited.in

होगा। प्रशिक्षित शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे अप्रशिक्षित शिक्षकों को परिक्षण दिया जाएगा। कोई भी विद्यालय तथा उन्हें मार्गदर्शन भी देगा प्रत्येक 40 बच्चों को पढाने के लिए कम से कम दो प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। विकलांग, मंद बुद्धि छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षक शिक्षण कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में लगा दिए जाते हैं। शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना, चुनाव कार्य एवं आपदा राहत के अलावा अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगायी जायेगी। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को लागू करने में जो भी खर्च आएगा उसे केंद्र 65 प्रतिशत व राज्य 35 प्रतिशत मिलकर वहां करेंगे।

इनके शिक्षा के अधिकार के भाग-खण्ड-I और 2 में स्पष्ट किया है।यह कानून इसके अनुसार 2 के उपखण्ड । के भाग 1, 2 व उपखंड B, C, D स्पष्ट करता है कि इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारें या विधान पालिकाएँ जैसा भी मामलो के द्वारा लागू किया जायगा साथ हीमूल भाग 2 के उपखंड C और D अनुसार बालक शब्द की (Child) की परिभाषा 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के रूप में करता है और उपखण्ड क्वंचित वर्गोंकी परिभाषा करते हुए इसमें अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे हुए वर्ग तथा ऐसे स्कूल को अपने सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक, जेन्डर तथा ऐसे ही भिन्न घटक जिन्हें संबंधित सरकारों ने नोटिफाइड किया है को वंचित समूह माना है। इसी प्रकार उपखण्ड SC में कमजोर वर्गों को परिभाषित करते हुए ऐसे बच्चों एवं अभिभावकों को शामिल किया गया है। जिनकी आय निश्चित मापदंडों से कम है शामिल किया गया है।

IV. निष्कर्ष

शिक्षा का अधिकार कानून 2009 किस हद तक जनता के सपनों को पूरा करता है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार कानून कई मायनों में विरोधाभासों, अस्पष्टताओं व चुनौतियों से भरा हुआ हैं परन्तु किस सीमा तक? यही देखना इस कार्य का सम्यक उदेश्य होगा कि भारत के संविधान में इस विषय को लेकर क्या प्रावधान और व्यवस्थाए हैं। और यह कानून किस प्रकार उनसे विरोधाभासी हैं जैसा हमने देखा कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से ऐसे तथ्य और मिथक हैं जो यह स्पष्ट संकेत करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। शिक्षा के अधिकार की आवश्यकताओं और उससे शिक्षा के क्षेत्र में और वह भी प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बेहद आवश्यकता है। परन्तु कई प्रकार से जमीनी हकीकत और शिक्षा के अधिकार के ऊपर आवश्यक हो जाता है कि यह अवश्य देखा जाए कि शिक्षा का मौलिक अधिकार कितना प्रभावी है। और वास्तविक स्थिति में इसका क्रियानिर्वायन किस प्रकार हो रहा है। इस दृष्टि से यह प्रस्तुत अध्ययन शिक्षा के अधिकार-2009 का क्रियानिर्वायन और प्रभाव का सम्यक् रूप में अध्ययन करने का प्रयास है। इसके लिए पहला कदम लोगों और क्रियानिर्वायन एजेंसियों को सूचित करना होगा। अधिनियम एक कानूनी दस्तावेज है जिसे पढ़ना या समझना आसान नहीं है। इसके अलावा कुछ इस तरह के सवाल भी हो सकते हैं जैसे इसमें इसे क्यों जोड़ा गया था और कुछ छूट क्यों गया- अथवा किसी धारा या अनुच्छेद के पीछे किसी विचार या इसमें आने वाली समस्याओं को लेकर आदि।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. महानंदी मदिर (2014). “अवेरनेस ऑफ टिचर्स ऑन आरटीई 2009- ऐ स्टडी”.
2. मिश्र, अरुण कुमार (2011). “प्राथमिक वियालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों का अध्ययन,’ एन.सी.ई.आर.टी., जुलाई, वर्ष-35 अंक-3
3. रेड्डी करुणाकरण (2014). “हिस्टोरिकल एस्पेक्टिब्स, आउटलाइन्स’, साइलंेट फीचर्स ऑफ़ दी आरटीइ ऐक्ट
4. वेंधान आर. (2014). “इशुस एंड चलेंजेसइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई”।
5. शर्मा, वी (2010). “फैसिलिटेटिंग ट्रेड इन हायर एजुकेशन ऑफ़ स्पेशल इशु ऑन सोशल साइंस, वोलुम 38 नवम्बर 9-12, सितम्बर-दिसम्बर।
6. शर्मा, कनिका (2012). “शिक्षा का अधिकार कानून का आंकलन”,कुरुक्षेत्र, सितम्बर.
7. सिंह, प्रदीप कुमार (2011). “शिक्षा का अधिकार ऐक्ट, एक विश्लेषण, भारतीय आधुनिक शिक्षा, एनसीईआरटी, नई दिल्ली, अक्टूबर, वर्ष 32, अंक-2
8. सैनी चारू (2013). “आर.टी.ई. इम्प्लीमेंटेशन: सम प्रोबलम्स एंड कनसेन्स”, आइडियल जर्नल ऑफ़ एजुकेशन, वाल्युम 3(2), अगस्त

www.ignited.in

9. नायक भारत कुमार (2012). "इम्प्लीमेंटिंग क्लॉज 12 ऑफ दी राईट टूएजुकेशन एक्ट 2009 इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इंडियाः लेटिंग डिसअडवांटेज चिल्ड्रेन डाउन?", आई.एस.एस इंटरनेशनल स्कूल ऑफ सोशल स्टडीज, दी हेगुए, दी निदर्लंड्स.

10. के.कल्याणी (2014). "राईट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंटेडः चलेंजेस स्टिल इन दी आरटीई".

Corresponding Author

Dr. Sanjay Kumar Pal*

Principal, Shiv Shambhu Hindi Vidhyalay, District-Thane, Maharashtra

sanjaypal2013@gmail.com